



भारत सरकार
Government of India
 खान मंत्रालय
Ministry of Mines
 भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

संख्या : RAJ/Udp/pb Zn-02 Vol-II

पंजीकृत पावती
 उल्लंघन पत्र
 माखुपूरा औद्धोगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area
 अजमेर.-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
 फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

दिनांक : 01.01.2018

प्रेषित : M/S Hindustan Zinc Ltd,
 P.O. Zawar mines, Zawar,
 District- Udaipur.

विषय : राजस्थान राज्य के Udaipur जिले में स्थित आपकी Zawarmala lead zinc खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.11.2017 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन किया है।

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 30(1)	The permission for stoping in block S -13 was granted vide letter no 320/Udai/ Pb Zn – 4 – Z / MMRD(N) – Vol-4, Udaipur dated 03.05.2017 with the specified condition that “Before the commencement of stoping operations the pending development work should be completed and submit a completion certificate to this office and to the RCOM, IBM. Ajmer”. But during inspection it was observed that stoping in stope block S-13 has commenced but without submitting the above completion Certificate.

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) निखनन अनुमति वापस ली जा सकती है।
 (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतीलीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(एच.सी.शर्मा)
 वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
 भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
 भारतीय खान ब्यूरो



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

संख्या : RAJ/Udp/pb Zn-02 Vol-II

माखुपूरा औद्धोगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area
अजमेर.-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

दिनांक :

प्रेषित : M/S Hindustan Zinc Ltd,
P.O. Zawar mines, Zawar,
District- Udaipur.

शुद्धि पत्र

विषय : राजस्थान राज्य के Udaipur जिले में स्थित आपकी Zawarmala lead zinc खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों का उल्लंघन।

संदर्भ: आपका पत्र सं. HZL/ZM/IBM/2017/277 dated 29.9.2017.

महोदय,

With reference to the aforesaid letter, it is noted that your submission for excess production has been considered and is considered unsatisfactory. You are advised to adhere to the norms of production as per the approved mining plan **within 30 days**.

भवदीय

(एच.सी.शर्मा)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो